


14/5/22

पत्रावली वादी आधिकारिक के मौखिक निवेदन
पर लोक अदालत में पेश हुई। वादीया
की ओर से कील सगलाराम चौधरी
द्वारा ^{वादी} अर्थात् पत्र पर (40, 88, 188) को नोट
प्रेस जादिर का निवेदन किया कि उक्त
उक्त में पत्रावली के मध्य लीट आलेख
की आवक से आपस में राजीनामा हो गया।
अतः प्रकरण न्यायालय में नहीं चलाना

Not present
[Signature]
[Signature]



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इजिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख के जारी हुये
	<p style="text-align: center;">वाद</p> <p>चाहते हैं। अतः अर्चना पत्र पर जारीचे नोट पेस खारिज फरमावे। प्रतिवादी वकील द्वारा इस पर सहायता जाद्वि की। जिस पर लुना गन्ना। वादीया स्वयं अपना प्रमाण चलाना नहीं चाहते हैं। अतः वाद (40,88,188 RT Act) जारीचे नोट पेस इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से क्रम हो। कारिबल दफ्त हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलेक्टर, सांचौर (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर) </p>	